प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, **वर्ष 2023** प्र.ई.रि.सं. 162/2023 दिनांक 24/6/2023

2.–(1) अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018)** धारा 7
   (2) अधिनियम धारा
   (3) अधिनियम धारा.........–.........
   (4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....–.........

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 386 समय 4:45 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार, **दिनांक 23.06.2023, समय 04.59 पीएम**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का **दिनांक 20.06.2023 समय 01.30 पीएम**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–उत्तर बफासला 100 किलोमीटर
   (ब) पता.........
   ....बीट संख्या ....जरायमदेही सं.........
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.........जिला.........

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ).–नाम :– **श्री राजेन्द्र सिंह**
   (ब).–पिता का नाम :– श्री भैरूसिंह
   (स).–जन्म तिथि :– उम्र–31 वर्ष
   (द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य).–पासपोर्ट संख्या.........–.........जारी होने की तिथि.........–.........जारी होने की जगह.....–......
   (र).–व्यवसायः– प्राईवेट कार्य
   (ल).–पता :– निवासी बालोतो की गुंआर पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.........

(1) श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपुत उम्र–41 वर्ष निवासी–गोगाथला पुलिस थाना कुवारियाँ जिला राजसमन्द हाल– हैड कानि0 नं0 63

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
   8,000/– रूपये ट्रेप राशि

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 8,000/–रूपये ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).........–.........

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह जाति रावत, उम्र 31 साल, निवासी बालोतों की गुंआर, पुलिस थाना व तहसील भीम जिला राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होकर एक स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " मैं प्रार्थी मुल रूप से बालोतो की गुंआर तहसील व पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द का रहने वाला हुं। दिनांक 01.06.2023 को मेरे छोटे भाई ललित सिंह व उसके साथी योगेन्द्र सिंह (जगू) का मेरे गांव के कुछ लोगों के साथ विवाद होने पर विपक्ष पार्टी द्वारा मेरे भाई ललित सिंह व योगेन्द्र सिंह के खिलाफ पुलिस थाना भीम पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। मेरे भाई ललित सिंह व योगेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना भीम पर विपक्ष पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी जिस पर पुलिस थाना भीम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरे भाई ललित सिंह व योगेन्द्र सिंह के खिलाफ पुलिस थाना भीम पर दर्ज प्रकरण संख्या 151/2023 के सम्बन्ध में पता करने हेतु मै पुलिस थाना भीम में गया था तो पता चला कि उक्त प्रकरण में श्री रघुवीर सिंह हैड कास्टेबल द्वारा अनुसंधान किया जा रहा हैं। मैं अनुसंधान अधिकारी श्री रघुवीरसिंह हैड कास्टेबल से मिला व मेरे भाई ललित सिंह व योगेन्द्र सिंह के खिलाफ दर्ज प्रकरण के सम्बन्ध में श्री रघुवीर सिंह हैड कास्टेबल से बात की तो श्री रघुवीर सिंह हैड कास्टेबल ने उक्त प्रकरण में मेरे भाई ललित सिंह का नाम हटाने, गिरफ्तार नहीं करने व मामले को रफा–दफा करने की एवज में मुझसे रिश्वत राशी 10,000 की मांग की और मेरे उपर दबाव बनाकर मुझसे 2,000 रूपये वसूल कर लिये। श्री रघुवीर सिंह हैड कास्टेबल मुझसे शेष राशी 8,000 रूपये की और मांग कर रहा हैं। मैं श्री रघुवीर सिंह हैड कास्टेबल को शेष रिश्वत राशि 8,000 रूपये नहीं देना चाहता हु और श्री रघुवीरसिंह हैड कास्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे व मेरे छोटे भाई ललित सिंह का रघुवीर सिंह हैड कास्टेबल से किसी प्रकार का रूपयों का लेन–देन बाकी नहीं हैं और ना ही हमारे कोई आपसी रंजिश हैं। अतः कानूनी कार्यवाही करवावें।" इसके उपरान्त मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्रसिंह से उसकी ओर से पेश की गई स्वयं हस्त लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादी से दरियाप्त की तो परिवादी ने उसके द्वारा पेश की हुई स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट की ताईद की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट एवं दरियाप्त से संदिग्ध श्री रघुवीरसिंह हैड कानिस्टेबल द्वारा परिवादी के भाई श्री ललितसिंह व योगेन्द्रसिंह के खिलाफ पुलिस थाना भीम पर दर्ज प्रकरण संख्या 151/2023 में परिवादी के भाई ललितसिंह का नाम हटाने व गिरफ्तार नहीं करने की एवज में श्री रघुवीरसिंह हैड कानिस्टेबल द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः दिनांक 22.06.2023 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया तो परिवादी के भाई श्री ललितसिंह व उसके मित्र श्री योगेन्द्र सिंह के खिलाफ पुलिस थाना भीम पर दर्ज प्रकरण में परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह के भाई श्री ललित सिंह की गिरफतारी का भय दिखाकर उसे गिरफ्तार नहीं करने एवं उसे थाने नही बुलाने एवं प्रकरण से परिवादी के भाई ललित सिंह का नाम हटाने की एवज में श्री रघुवीर सिंह हैड कास्टेबल द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा पूर्व में आरोपी श्री रघुवीरसिंह हैड कास्टेबल द्वारा परिवादी से वसूल किये गये 2,000 रूपये कम करने के पश्चात आरोपी श्री रघुवीरसिंह हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह से शेष रिश्वत राशि 8,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत होना पाया गया। दिनांक 23.06.23 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। समय 12.10 पी.एम. पर कानि0 प्रदीप सिंह नं. 162, श्री भंवरदान नं. 414 तथा श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 को मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी साथ लेकर मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबन्धित वाहन मय चालक मदनलाल के भीम की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए मन् उप अधीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाह श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री हनुमान राम, श्रीमती सीता हैड कानि नं. 233, श्री जितेन्द्र कानि0 नं0 262 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक मनोज कुमार कानि0 नं0 23 के ट्रेप कार्यवाही हेतु भीम की तरफ रवाना हो 1.40 पी.एम पर भीम से कुछ दुरी पहले 40 मील चौराहा पर पहुचें जहां पर पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित मिला जिन्हे साथ लेकर कुशलपुरा रोड की तरफ एकान्त स्थान पर पहुंचे। उपस्थित दोनो गवाहान एवं स्टाफ का परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह से आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढकर सुनाया जाकर पढ़ाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने

वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति दी गई तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर परिवादी एवं दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। ततपश्चात आरोपी श्री रघुवीर सिंह की लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह से उसके मोबाईल नं. 94141–47891 से आरोपी श्री रघुवीर सिंह के मोबाईल नं. 97849–64912 पर कॉल करवाया गया रिंग जाने पर फोन को हैण्ड फ्री कर वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई, वार्तानुसार आरोपी ने कही बाहर होना तथा 2–3 घंटे बाद आकर कॉल करने हेतु बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थित में रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित करायी जाकर फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपूर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। समय 4.23 पीएम पर आरोपी ने परिवादी को पुलिस थाना भीम आने की कहा जिस पर परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात मोबाईल पर कॉल कर ईशारा करने की हिदायत कर निर्देशानुसार रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो भीम पुलिस थाने के पास अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मूकिम हुए। समय 04.59 पी.एम. पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा ब्यूरो जाप्ता के श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 262 को निर्धारित ईशारा मोबाईल से कॉल कर आरोपी श्री रघुवीर सिंह हैड कानि. द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में बताया जिस पर तुरन्त ही कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को मोबाईल से कॉल कर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि आरोपी द्वारा प्राप्त करने के संबंध में बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, हमराह उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यनारायण शर्मा व श्री हनुमानराम एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233, श्री किशनाराम कानि0 नं0 404, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 के पुलिस थाना भीम परिसर में तेज–तेज कदमों से प्रवेश किया। जहां पर परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह कम्प्युटर कक्ष के बाहर उपस्थित मिला जिसने मन् पुलिस उप अधीक्षक को पुलिस थाना भीम के कम्प्युटर कक्ष की ओर ईशारा कर अपने पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक को दिया जिसे मन पुलिस उप अधीक्षक ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख, उक्त कम्प्युटर कक्ष में प्रवेश किया तो परिवादी ने उक्त कम्प्युटर कक्ष के कोने में टेबल कुर्सी लगा कर बैठे हुये एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि "यह ही रघुवीर सिंह हैड साहब है जिसने मुझसे अभी–अभी 8000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की है" जिस पर आरोपी का दाया हाथ श्री भंवरदान कानि0 नं. 414 एवं बाया हाथ श्री किशनाराम कानि0 नं0 404 ने कलाई से उपर पकडा। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान जाप्ता ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपुत उम्र 41 वर्ष निवासी गोगाथला पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमन्द हाल हैड कानि. नं. 63 पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द होना बताया। आरोपी श्री रघुवीर सिंह से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह से 8000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो घबराते हुए कहा कि मैंने राजेन्द्र सिंह से उसके भाई ललित सिंह के खिलाफ श्रीमती नेनू देवी रावत निवासी बालातो की गवार द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे से ललित सिंह का नाम हटाने के हेतु लिये थे और फिर कहने लगा कि साहब मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ कर दो। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता होना पाया गया। इसके उपरांत पूर्व में दिनांक 22.06.2023 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता को मन पुलिस उप अधीक्षक ने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही चालू कर आरोपी श्री रघुवीर सिंह को सुनाई गई तथा उक्त मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री रघुवीर सिंह ने अपना सिर झुका लिया और निरूत्तर हो गया फिर कहा कि यह रिश्वत राशि मैनें स्वयं के लिये ही ली है, इसमें (रिश्वत राशि में) मेरे अलावा और किसी का कोई हिस्सा नहीं है। ततपश्चात आरोपी श्री रघुवीर सिंह के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से गाडी में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवा कर कानि0 किशनाराम नं. 404 से ही ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में उक्त कम्प्युटर कक्ष में ही रखे हुये पानी के केम्पर मे से अलग–अलग साफ पानी भरकर मंगवा कर उक्त दोनों

गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रघुवीर सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क RH–1 व RH–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रघुवीर सिंह के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH–1 व LH–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री रघुवीर सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हनुमानराम से लिवाई गई तो श्री रघुवीर सिंह के पहनी हुई हल्की आसमानी रंग की जीन्स पेन्ट की सामने की बायीं जेब से कुछ रूपये मिले। जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500–500 के 16 नोट कुल राशि 8,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गयेः–

क्रम संख्या	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट	0RV 234900
2	500 रूपये का एक नोट	0UT 037704
3	500 रूपये का एक नोट	7VV 745545
4	500 रूपये का एक नोट	3ER 271652
5	500 रूपये का एक नोट	7CP 248020
6	500 रूपये का एक नोट	5UC 335483
7	500 रूपये का एक नोट	5DK 359031
8	500 रूपये का एक नोट	0TE 086630
9	500 रूपये का एक नोट	6DP 963624
10	500 रूपये का एक नोट	9DF 181100
11	500 रूपये का एक नोट	8FC 993765
12	500 रूपये का एक नोट	8FC 090302
13	500 रूपये का एक नोट	0BS 805691
14	500 रूपये का एक नोट	9AM 283732
15	500 रूपये का एक नोट	9NT 876687
16	500 रूपये का एक नोट	7GM 944881

उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री रघुवीर सिंह से परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह के भाई श्री ललित सिंह के विरूद्व दर्ज कराये गये मुकदमें की अनुसंधान पत्रावली लेकर प्रकरण सं. 151/23 धारा 341, 323, 451, 34 भा.दं.सं. की मुल अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन कर थानाधिकारी पुलिस थाना भीम से प्रकरण सं. 151/23 की मुल पत्रावली की व परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह के भाई श्री ललित सिंह के मित्र श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस थाना भीम पर पेश शुदा परिवाद मय दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया चाहने बाबत निर्देशित किया। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना भीम ने पुलिस थाना भीम पर विद्युत आपुर्ति बंद होने का हवाला दिया। तत्पश्चात् आरोपी श्री रघुवीर सिंह की पहनी हुई जीन्स पेन्ट बरंग हल्का आसमानी के सामने की बायीं जेब से 8,000 रूपये बरामद होने से पहनी हुई उक्त पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर लॉवर (पजामा) पहनाया जाकर उक्त जीन्स पेन्ट बरंग हल्का आसमानी के सामने की बायीं जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु कानि0 किशनाराम नं0 404 से ही ट्रेप बॉक्स में से ही एक साफ कांच का गिलास निकलवा उसे साफ पानी से धुलवा उसमें पुनः साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर में डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त जीन्स पेन्ट की सामने की बायीं जेब उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त

जेब का धौवण हल्का गुलाबी हो गया। जिस घोल को दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की शिशियों को मार्क क्रमशः P–1 व P–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् उक्त जीन्स पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट कर मार्क ' P ' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। मामले में घटनास्थल का नक्शा मौका परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी श्री रघुवीर सिंह की आवासीय कमरे की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब की गई। चूकिं पुलिस थाना भीम परिसर में विधुत आपूर्ति नहीं होने पर मामले में अग्रिम कार्यवाही कम्प्यूटर पर करने हेतु समय 06.29 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी मय आरोपी श्री रघुवीर सिंह हैड कानि0 नं0 63 मय मालखाना आर्टीकल्स, जब्तशुदा रिश्वत राशि के रवाना होकर समय 08.00 पी.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पहुंचे तदपरान्त अग्रिम कार्यवाही के क्रम में हमराह उपस्थित आये श्री निलेश कुमार उपनिरीक्षक पुलिस को आरोपी श्री रघुवीर सिंह हैड कानि. नं. 63 द्वारा किये जा रहे प्रकरण सं. 151/23 में प्रकरण दर्ज दिनांक से दिनांक 23.06.2023 तक किये गये सम्पूर्ण अनुसंधान एवं परिवाद द्वारा श्री योगेन्द्र सिंह में की गई सम्पूर्ण जांच से सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिन्हें बाद अवलोकन शामिल ट्रेप कार्यवाही किये गये। श्री रघुवीर सिंह हैड कानि0 नं0 63 पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री रघुवीर सिंह हैड कानि0 नं0 63 को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन संबंधी मोबाईल वार्ता, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता, फर्द मोबाईल जप्ती, फर्द मेमोरी कार्ड एवं फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री रघुवीर सिंह हैड कानि0 नं0 63 पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह के भाई श्री ललित सिंह के विरूद्व पुलिस थाना भीम में दर्ज प्रकरण संख्या 151/23 में परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह के भाई श्री ललित सिंह की गिरफ्तारी का भय दिखाकर उसे गिरफ्तार नहीं करने एवं उसे थाने नही बुलाने एवं प्रकरण से परिवादी के भाई ललित सिंह का नाम हटाने की एवज में श्री रघुवीर सिंह हैड कास्टेबल द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा पूर्व में आरोपी श्री रघुवीरसिंह हैड कास्टेबल द्वारा परिवादी से वसूल किये गये 2,000 रूपये कम करने के पश्चात आरोपी श्री रघुवीरसिंह हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह से शेष रिश्वत राशि 8,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत होना एवं मांग अनुसार दिनांक 23.06.2023 को 8,000/– रूपये रिश्वत राशि वक्त लेन–देन आरोपी श्री रघुवीर सिंह हैड कानि0 नं. 63 द्वारा प्राप्त करना तथा आरोपी श्री रघुवीर सिंह द्वारा उक्त रिश्वत राशि 8,000/– रूपये अपने हाथों से गिनकर प्राप्त करने के बाद अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रखना, आरोपी की पहनी हुई उक्त जीन्स पेन्ट की सामने की बायीं जेब से रिश्वत राशि 8,000/– रूपये बरामद होना तथा उक्त् आरोपी श्री रघुवीर सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना व उक्त आरोपी श्री रघुवीर सिंह के पहनी हुई जीन्स पेन्ट जिसके सामने की बायीं जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग भी हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जी जाति राजपुत उम्र 41 वर्ष निवासी गोगाथला पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमन्द हाल हैड कानि0 नं0 63 पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री रघुवीर सिंह हैड कानि0 के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्र0नि0ब्यूरो राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री रघुवीर सिंह, हैड कानि.नम्बर 63, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 162/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1218-21 दिनांक 24.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

24.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।